

रिपोर्ट पटवारी व भू अ निरीक्षण

श्रीमानजी,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी पैतृक होने एवं प्रार्थी का वास्तविक नाम ..... होने से नाम / वस्त्रियत / जाति तुरन्त किये जाने योग्य है।

पटवारी  
27-12-17  
भू-अ

भू-अभिलेख निरीक्षक  
27-12-17  
124 एम

मानाज

सचिव

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार, आहोर

पटवारी / भू-अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त रिपोर्ट एक मजमें आम में प्राप्त जल्दानी अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

तहसीलदार (भू.अ.) आहोर

आदेश

प्रार्थना पत्र सं० 6/2018

दिनांक 9-1-18

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 138 रा. भू. रा. अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, आहोर को आदेशित किया जाता है कि माफिक ईस्तदुआ राजस्व रेकॉर्ड तुरन्त किया जावे। मत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय लोक अदालत में सुनाया गया।



उपायुक्त अधिकारी  
आहोर, जिला-जालार